उत्तर प्रदेश शासन

धर्मार्थ कार्य विभाग

संख्या- 2/948/57-2014-51(जी)/2013

लखनऊ दिनांक: 24 दिसम्बर, 2014

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषय: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को शासकीय व्यय पर हरिद्वार एवं ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा कराये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे के उपक्रम-इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन (आई0आर0सी0टी0सी0) लि0- के सहयोग से हरिद्वार- ऋषिकेश की नि:शुल्क यात्रा शासकीय व्यय पर कराये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के अधीन प्रदान करते है:-

1- यह यात्रा उ0 प्र0 के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों हेतु अनुमन्य होगी।

2- यात्रा हेतु यात्रियों का चयन उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण करते हुये वररिष्ठतम नागरिकों को वरीयता देकर किया जायेगा।

3- चयनित यात्रियों को एक विशेष रेलगाडी द्वारा, जिसे आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा रेलवे से चार्टर किया जाएगा, लखनऊ से हरिद्वार तक यात्रा कराई जाएगी।

4- गन्तव्य स्थान पर गैर-वातानुकूलित बसे (45से 55 सीटर) हरिद्वार एवं ऋषिकेश के मध्य उपलब्ध कराई जाएगी। बसे निर्धारित पार्किंग स्थलों पर उपलब्ध होगी।

5- इस यात्रा हेतु चयनित यात्रियों को यात्रा के दौरान बजट श्रेणी की सुविधायें अनुमन्य होंगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेवेल किट उपलब्ध कराई जाएगी।

6- यात्रियों द्वारा अपने निवास स्थान से लखनऊ रेलवे स्टेशन तक आने-जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

7- यात्रा की उपयुक्तता हेतु यात्री द्वारा स्वयं की शारीरिक दक्षता के सम्बन्ध में अपने जनपद के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूलरूप में आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा।

8- यह यात्रा आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

9- यात्रियों को नियत मेन्यू, जिसमें सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना, शाम की चाय (सिर्फ ट्रेन में) एवं रात का खाना सम्मिलित है, उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रियों को सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

10- हरिद्वार में साफ एवं स्वच्छ धर्मशाला/डारमेट्री /होटल बहु साझेदारी के आधार पर उपलब्ध करायी जाएगी।

11- गाड़ी के प्रत्येक कोच में एक टूर सहचर की व्यवस्था रहेगी जो यात्रियों की देखभाल, उनकी समस्याओं का तुरन्त निस्तारण, सूचना एवं अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध रहेगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- प्रत्येक कोच में एक नि:शस्त्र सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था रहेगी। स्टेशन पर एवं ट्रेन में किसी सुरक्षा सम्बन्धी समस्या होने पर रेलवे सुरक्षा बल (आर0पी0एफ0) व राजकीय रेलवे पुलिस की मदद ली जा सकती है।

13- पूरी ट्रेन की साफ-सफाई, विशेष रूप से टॉयलेट की सफाई हेतु उपयुक्त संख्या में सफाई कर्मचारी, सफाई सामग्री के साथ उपलब्ध रहेंगे।

14- यात्रा के दौरान ट्रेन में समय-समय पर उदघोषणा हेतु लोक उदघोषणा प्रणाली (पी0ए0 सिस्टम) की व्यवस्था की जाएगी।

15- टेन में कुल 1044 यात्रियों के लिए बर्थ आरक्षित रहेगी। प्रत्येक स्लीपर कोच में एक बर्थ सुरक्षा कर्मी एवं एक बर्थ टूर सहचर के लिए निर्धारित की जाएगी। एक केबिन (6 बर्थ) आई0आर0सी0टी0सी0 स्टाफ हेतु आरक्षित होगा।

16- यद्यपी रेलवे स्टेशन पर रेलवे डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होगी रेलवे द्वारा यदि किसी यात्री को कोई चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है तो उसका व्यय यात्री को स्वयं वहन करना होगा।

17- यात्रा के दौरान आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा प्रत्येक यात्री का यात्रा दुर्घटना बीमा कराया जायेगा।

18- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र विलम्बतम दिनांक: 01 जनवरी, 2015 से 20 जनवरी, 2015 तक अपने जनपद के जिलाधिकारी के पास पहुँच जाना चाहिए।

19- ट्रेन सम्भवत: दिनांक: 09 मार्च, 2015 को लखनऊ से गन्तव्य हेतु प्रस्थान करेगी।

20- आवेदन पत्र के साथ, आवेदक द्वारा, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं चिकित्साधिकारी का स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा दो फोटो अनिवार्य रूप से मूलरूप में प्रस्तुत किया जाना होगा।

21- यह सुविधा किसी वरिष्ठ नागरिक को जीवन काल में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी।

22- यात्रा सम्पन्न होने पर यात्री द्वारा शासन के धर्मार्थ कार्य विभाग को यात्रा सम्पन्न् किए जाने की सूचना उपलब्ध करानी होगी।

23- यात्रा हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्यावेदन अपने जिले के जिला अधिकारी को दिनांक: 01 जनवरी, 2015 से 20 जनवरी, 2015 की अवधि में उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त जिला अधिकारी निर्धारित चयन मानकों के अनुसार, दिनांक: 20 जनवरी, 2015 से दिनांक: 31 जनवरी, 2015 तक संवीक्षा करते हुए वरिष्ठतम 10 व्यक्तियों की पात्रता सूची दिनांक: 01 फरवरी, 2015 तक शासन को उपलब्ध करायेगें। 5 व्यक्तियों की सूची प्रतीक्षा सूची में रखी जायेगी। दिनांक: 10 फरवरी, 2015 तक शासन द्वारा यात्रियों की अंतिम सूची आई0आर0सी0टी0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

24- प्रदेश के 58 ऐसे जनपद, जहाँ पर मण्डल मुख्यालय नहीं है, से जिलाधिकारी अधिकतम 10 यात्रियों की चयन सूची शासन को उपलब्ध करायेंगे परन्तु ऐसे जनपद, जहाँ पर मण्डल मुख्यालय है, के जिला अधिकारी अधिकतम 20 सम्भावित यात्रियों की सूची उपलब्ध करायेंगे। चूँकि लखनऊ जनपद प्रदेश की राजधानी है, अत- जिला अधिकारी लखनऊ अधिकतम 115 नामों की सूची उपलब्ध करायेंगे। यात्रा के दौरान एक चिकित्सक व दो नर्स चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिनके लिए कुल तीन बर्थ आरक्षित होंगे। शेष सीटें धर्मार्थ कार्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों हेतु आरक्षित होंगी।

25- यात्रा के दौरान किसी यात्री की मृत्यु होने पर धर्मार्थ कार्य विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

26- यात्रा हेतु स्थानीय मौसम के दृष्टिगत यात्रियों को परामर्श दिया जाता है कि आवश्यक वस्त्रादि को साथ रखना स्वयं सुनिश्चित करें।

27- चयनित यात्रियों को उनके चयन एवं सम्बन्धित सूचनायें जिला अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

28- यात्रा हेतु आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

29- उक्त यात्रा पर आने वाला व्यय आय व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धार्मिक प्रयोजनों के लिए दान-05-प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा-42-अन्य व्यय के मद से वहन किया जाएगा

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-948(1)/57-2014-51(जी)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।

2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।

4- मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आई0आर0सी0टी0सी0।

5- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराते हुए विज्ञप्ति/प्रकीर्ण की 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7- महानिदेशक, पर्यटन उ0 प्र0 शासन।

8- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद उ0 प्र।

9- समस्त मण्डलायुक्त

10- प्रतिलिपि समस्त जिला अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे इच्छुक यात्रियों के प्रत्यावेदन, निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर उनकी संवीक्षा कर निर्धारित चयन मानको के अनुसार वरिष्ठतम 10 सम्भावित यात्रियों की सूची शासन को निर्धारित तिथि 01 फरवरी, 2015 तक उपलब्ध करायेंगे।

11- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत यात्रा (सम्भावित तिथि 09 मार्च, 2015) हेतु एक चिकित्सक एवं 02 नर्से नामित करते हुए धर्मार्थ कार्य विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।

13- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0 प्र0।

14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।

15- निजी सचिव, मा0 मंत्री धर्मार्थ कार्य, उ0 प्र0।

16- सामान्य प्रशासन विभाग।

17- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

नवनीत सहगल

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0 प्र0 के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासकीय व्यय पर हरिद्वार एवं ऋषिकेश की यात्रा हेतु आवेदन पत्र

1- नाम:-

2- पिता/पति का नाम:-

3- जनपद का नाम:-

4- जन्म तिथि

(स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र)

5- लिंग:-

6- निवास स्थान का पूर्ण पता:-

7- दूरभाष संख्या:-

8- पहचानक पत्र:-

9:- शारीरिक दक्षता प्रमाण-पत्र-

स्थान:-

दिनांक:- आवेदक का हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.nic.in